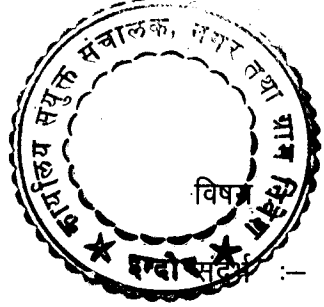


कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय इन्दौर म.प्र.

कमांक / 3954 एस.पी.-41/24/नग्रानि/11,
प्रति,

इन्दौर दिनांक 4/6/2014



श्री देवराम पिता रामरतन खाती
निवासी रंगवासा तहसील इन्दौर
विकासकर्ता-श्री नितिन पिता नरेश खेमलानी
38 त्रिवेणी कॉलोनी-इन्दौर

ग्राम रंगवासा तहसील जिला इन्दौर की भूमि खसरा कमांक 537 कुल रकबा 2.501 हेक्टर
भूमि पर ग्रूप हाउसिंग प्रयोजन हेतु अनुमोदन बाबत ।
आपका आवेदन दिनांक 31.1.2011

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक श्री देवराम पिता रामरतन खाती निवासी रंगवासा तहसील
इन्दौर द्वारा ग्राम रंगवासा तहसील जिला इन्दौर की भूमि खसरा कमांक 537 कुल रकबा 2.501 हेक्टर भूमि
पर ग्रूप हाउसिंग प्रयोजन हेतु अनुमोदन हेतु निम्न लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन ।
2. आवेदन शुल्क चालान कमांक 18 दिनांक 7/1/2011 द्वारा राशि रूपए 21,885/- जमा ।
3. खसरा बी-1, पी-2 वर्ष 2010-2011
4. शपथ पत्र कमांक 20 एए- 846354 नोटरी कमांक 46 दिनांक 3.1.2011
5. खसरा बटांकन मानचित्र, पटवारी नक्शा प्रमाणित प्रतिलिपि
6. क्षतिपूर्ति पत्र कमांक एल-859980 नोटरी कमांक 725 दिनांक 19.1.2011
7. मानचित्र (अभिन्यास)

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर उप-यंत्री द्वारा भू-स्वामी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में स्थल
निरीक्षण किया गया जिसमें स्थल रिक्त होना पाया गया है । स्थल को दक्षिण की ओर स्थित शासकीय
मार्ग प्रस्तावित 18.0 मीटर से पहुँच मार्ग उपलब्ध है एवं प्रश्नाधीन भूमि का इन्दौर विकास योजना-2001 में
भूमि उपयोग प्रस्तावित आवासीय निर्दिष्ट है ।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार
पर प्रकरण का परीक्षण किया गया । प्रश्नाधीन भूमि के दक्षिण में स्थित 18.0 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित
किया गया है । इन्दौर विकास योजना-2021 अनुसार ग्राम रंगवासा तहसील जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे
कमांक 537 कुल रकबा 2.501 हेक्टर भूमि पर ग्रूप हाउसिंग प्रयोजन हेतु संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार
म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम-1984 की
धारा 27 (1) एवं 2 (5) के तहत अभिन्यास अनुमोदन निम्न शर्तों के आधार पर किया जाता है :-

1. प्रश्नाधीन भूमि पर नियोजन मापदण्ड इस प्रकार मान्य होंगे :-
अ- ग्राउण्ड कवरेज 30 प्रतिशत अधिकतम
ब- एफ.ए.आर. 1:1.50 अधिकतम
स- एम.ओ.एस संलग्न मानचित्र अनुसार
द- भवन की उँचाई अभिन्यास के ब्लॉकों में दर्शाए गए अनुसार
ड- पार्किंग : एक कार प्रति 100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की दर से

Amr
R
Cm